

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2341]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941

No. 2341]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

सं. 11/2015-20

का.आ. 2571(अ).—व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) का गठन राज्यों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी समर्थकारी वातावरण प्रदान करने के लिए उपायों पर राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संवाद सुनिश्चित करने और भारत के निर्यात को बढावा देने में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाने हेतू एक ढांचा का निर्माण करने हेत् दिनांक 3 जुलाई, 2015 को का.आ. 1798(असाधारण) के तहत किया गया था। बोर्ड ऑफ ट्रेंड कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहा है और इसका दिनांक 23 मार्च, 2016 की व्यापार सूचना 21/2015-20 द्वारा पुनर्गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ ट्रेड का उद्देश्य व्यापार और उद्योग जगत के साथ नियमित चर्चा और परामर्श करना है और भारत के व्यापार को बढावा देने के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना है।

2. परामर्श प्रक्रिया में अधिक सामंजस्य लाने हेत्, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) का बोर्ड ऑफ ट्रेड (बीओटी) के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है और नया फोरम बोर्ड ऑफ ट्रेड (बीओटी) के रूप में बना रहेगा और इसकी संरचना और विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार होंगेः

3670 GI/2019 (1)

बोर्ड ऑफ ट्रेड की संरचना

1.	केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2	वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री / मंत्रीगण, भारत सरकार और राज्यों तथा संघ	सदस्य
	राज्य क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य के प्रभारी मंत्री	
3.	भारत सरकार के सचिवः	अधिकारिक सदस्य
	वाणिज्य, राजस्व, वित्तीय सेवाएं, विदेश, रेलवे (अध्यक्ष रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन, कृषि एवं सहकारिता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और पेट्रोरसायन, डाक, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक कार्य, एमएसएमई, वस्त्र, पर्यावरण और वन, रक्षा उत्पादन और मत्स्य पालन और	
	सीईओ, नीति आयोग, डिप्टी गवर्नर आरबीआई, अध्यक्ष, सीबीआईसी, अध्यक्ष एनएचएआई, सीएमडी ईसीजीसी, एमडी एक्जिम बैंक, एमडी, भारतीय कंटेनर निगम, अध्यक्ष / प्रेजिडेन्ट, एमपीईडीए, एफएसएसएआई, एपिडा, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र के प्रमुख, निदेशक, आरआईएस	
4.	प्रेसीडेन्ट / अध्यक्ष, सीआईआई, फिक्की, फिओ, एसोचैम, नैसकॉम, जीजेईपीसी, एईपीसी, एसआरटीपीसी, ईपीसीएच, सीएलई, ईईपीसी, केमेक्सिल, फार्मेक्सिल, ईओयू और एसईजेड, के लिए ईपीसी, एसईपीसी, अध्यक्ष, दि सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर आपरेटर्स, सार्क अध्यक्ष, वाणिज्य और उद्योग, अध्यक्ष वृहन मुम्बई कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवार्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ, भारतीय महिला उद्यम संघ, भारतीय तिलहन और उत्पादक निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल आफ इंडिया	
5.	अलग से अधिसूचित किया जाएगा।	गैर–सरकारी सदस्य
6.	विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य सचिव
	यदि आवश्यक हो, अध्यक्ष किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकते हैं	

- 3. व्यापार बोर्ड (बीओटी) के लिए विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः
 - i. व्यापार नीति पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक मंच प्रदान करना;
 - ii. भारत की व्यापार संभावनाओं और अवसरों को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार को एक मंच प्रदान करना और उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तैयार करना;
 - iii. राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के अनुरूप निर्यात संबंधी कार्यनीति तैयार करने और अनुसरण करने के लिए राज्य सरकारों को मदद करना;
 - iv. व्यापार को बढ़ावा देने और अवरोधों तथा अवसंरचना संबंधी किमयों जो भारत के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, की पहचान करने के लिए उपयुक्त अवसंरचना की आवश्यकता पर विचार—विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करना;
 - यापार अवसंरचना के संचालन पर विचार—विमर्श करने हेतु तंत्र को सुसाध्य बनाना;
 - vi. आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नीतिगत उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देना;
 - vii. विभिन्न सेक्टरों के निर्यात कार्य निष्पादन की समीक्षा करना, अवरोधों की पहचान करना तथा निर्यात आय को इष्टतम करने हेतु उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;

- viii. आयात और निर्यात के लिए मौजूदा संस्थागत ढ़ांचे की जांच करना और अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सूचारू बनाने हेत् व्यावहारिक उपायों का सूझाव देना;
 - ix. आयात और निर्यात के लिए नीतिगत दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उपयोग को युक्तिसंगत बनाने हेतु उपायों का सुझाव देना;
 - x. उन मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने तथा भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।

[फा. सं. 01/36/218/16/एएम—18/टीसी(भाग II] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

No. 11/2015-20

- **S.O. 2571(E).**—The Council for Trade Development and Promotion (CTDP) was constituted vide S.O. 1798(E) dated 3rd July, 2015 to ensure regular dialogue with State Governments and UTs on measures for providing an International trade enabling environment in the States and to create a framework for making the States active partners in boosting India's exports. The Board of Trade has been in existence for quite some time and was reconstituted vide Trade Notice 21/2015-20 dated 23 March, 2016. The objective of BOT is to have regular discussion and consultation with trade and industry and advise the Government on Policy measures related to Foreign Trade Policy in order to achieve the objective of boosting India's trade.
- 2. To bring about greater coherence in consultation process, it has been decided to merge the Council for Trade Development and Promotion (CTDP) with the Board of Trade (BOT) and the new forum will remain as Board of Trade (BOT) and its composition and Terms of Reference (TOR) will be as under:

Composition of Board of Trade:-

1.	Union Commerce and Industry Minister	Chairperson
2.	Minister/s of State for Commerce & Industries, GoI and Minister in-charge of Trade and Commerce in States and UTs	Members
3.	Secretaries to Government of India: Commerce, Revenue, Financial Services, External Affairs, Railways(Chairman Railway Board), Shipping, Road Transport & Highways, Civil Aviation, Promotion of Industry & Internal Trade, Agriculture & Cooperation, Health & Family Welfare, Chemical & Petrochemical, Posts, Animal Husbandry, Food Processing, Information Technology, Economic Affairs, MSME, Textiles, Environment & Forests, Defence Production and Fisheries.	Official Members
	CEO, NITI Aayog, Deputy Governor RBI, Chairman, CBIC, Chairman NHAI, CMD ECGC, MD EXIM Bank, MD, Container Corporation of India, Chairperson/President, MPEDA, FSSAI, APEDA, Coffee Board, Tea Board, Spice Board, Rubber Board, Head -Centre for WTO Studies, Director RIS,	

4.	President/Chairman, CII, FICCI, FIEO, ASSOCHAM, NASSCOM, GJEPC, AEPC, SRTPC, EPCH, CLE, EEPC, CHEMEXCIL, PHARMEXCIL, EPC for EOUs & SEZs, SEPC, President, The Seafood Exporters Association of India, Indian Association of Tour Operators, SAARC Chairman of Commerce & Industry, President Brihan Mumbai Customs House Agents Association, Federation of Freight Forwarders' Associations of India, Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, Federation of Indian Women Enterprises, Indian Oilseeds and Producer Export Promotion Council, Laghu Udyog Bharti, CEO, Express Industry Council of India.	Ex-officio Members from Apex Chambers and EPCs
5.	To be notified separately	Non-official Members
6	DGFT	Member Secretary
	Chairman can co-opt any other official or expert, if required	

3. The **Terms of Reference** for the Board of Trade (BoT) would be as follows:

- i. To provide a platform to State Governments and UTs for articulating their perspectives on trade policy;
- ii. To provide a platform to Government of India for apprising State Governments and UTs about international developments affecting India's trade potential and opportunities and to prepare them to deal with evolving situation;
- iii. To help State Governments develop and pursue export strategies in line with national Foreign Trade Policy;
- iv. To provide a platform for deliberation on the need for infrastructure relevant for promoting trade and for identification of impediments and infrastructure gaps which adversely affect India's exports;
- v. To facilitate a mechanism for discussion on operationalization of trade infrastructure.
- vi. To advise Government of Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing economic scenarios;
- vii. To review export performance of various sectors, identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings;
- viii. To examine existing institutional framework for imports and exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve desires objectives;
- ix. To review policy instruments and procedure for imports and exports and suggest steps to rationalize use; and
- x. To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade and for strengthening international competitiveness of Indian goods and services.

[F. No. 01/36/218/16/AM18/TC(Part II]

 $ALOK\ VARDHAN\ CHATURVEDI,\ Director\ General\ of\ Foreign\ Trade$

& Ex-officio Addl. Secy.